आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 443/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा कार्यालय– वैशाली नगर, जगदम्बा टॉवर, आम्रपाली सर्किल, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री दिनेश सैनी,
2. श्रीमती राखी सैनी पत्नी श्री दिनेश सैनी,
   पताः– प्लॉट नं. 01, श्याम नगर विस्तार ए, बड़ की ढ़ाणी, नाड़ी का फाटक, झोटवाड़ा, जयपुर
   एवं फ्लेट नं. 215, बालाजी टॉवर IInd, सेक्टर 5, मणिपाल हॉस्पिटल के पास, सीकर रोड, जयपुर।
3. श्री पवन कुमार गोयल,
   पताः– 8/15–16, विद्याधर नगर, जयपुर
   एवं 7/110, विद्याधर नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित

1. श्रीमती विमला चंदिरा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांक 04.07.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 12.05.2015 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी **श्री दिनेश सैनी के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. एस–25, बालाजी टॉवर IX मैजेस्टीक हाईट्स, सेन्ट्रल स्पाईन स्कीम, जगतपुरा, जयपुर में छठम तल पर स्थित फ्लेट नं. बी–604, क्षेत्रफल 1275.65 वर्गफीट** को बन्धक रख कर दिनांक कुल राशि 19,40,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.12.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 19,40,000/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner